

42061 - कुरआन या कुरआन की कैसिटों के साथ बाथरूम में दाखिल होने का हुक्म

प्रश्न

मुसहफ (कुरआन की प्रति) के साथ बाथरूम (स्नानागार) में प्रवेश करने का क्या हुक्म है? क्या यही बात उन इस्लामिक कैसिटों पर भी लागू होती है जिनमें पवित्र कुरआन की रिकॉर्डिंग होती है?

विस्तृत उत्तर

विद्वानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसहफ़ को लेकर बाथरूम (शौचालय) और गंदी जगहों में जाना हराम है, क्योंकि यह अल्लाह के शब्दों के सम्मान के खिलाफ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस बात का डर हो कि अगर वह उसे बाथरूम के बाहर छोड़ देगा तो चोरी हो सकता है, या उसे डर है कि वह उसे भूल जाएगा, तो उसे संरक्षित करने की आवश्यकता के कारण उसके साथ इसमें प्रवेश करने में कोई हर्ज नहीं है।

जहाँ तक कैसिटों (टेप) का संबंध है, तो वे मुसहफ़ों की तरह नहीं हैं, क्योंकि टेपों में कोई लिखावट नहीं होती। उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ कंपन मौजूद होता है जो एक विशिष्ट मशीन से गुजरने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। इसलिए टेप को बाथरूम में ले जाया जा सकता है और इसमें कोई समस्या नहीं है।

फज़ीलतुश-शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह “लिक्काआत अल-बाब अल-मफ्तूह, 3/439।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

“मुसहफ के साथ बाथरूम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, सिवाय इसके उसकी ज़रूरत हो। यदि आपको डर है कि वह चोरी हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

“मज़मूओ फतावा इब्ने बाज़” (10/30).